

बिहार सरकार

खान. एवं भूतत्व विभाग

सं0आ0सं0 -

१७७ /एम0, पटना, दिनांक - ३०/०८-२००१

सेवा में,

१०१५७

समाहर्ता;

लखीसराय ।

प्रसंग:- समाहर्ता, लखीसराय का पत्रांक -981 /एम0, दिनांक- 27.7.95

विषय:-लखीसराय जिलान्तर्गत मौजा विशनपुर गाँव के प्लॉट संख्या-2604 (7.19 एकड़) 2625 (18.41 एकड़) तथा प्लॉट संख्या-2626 (23.32 एकड़) कुल 48.92 एकड़ क्षेत्र पर क्वार्टज /क्वार्टजाईट (सिलिका स्टोन) खनिज के खनन पट्टा सर्वश्री आई0डी0ओ0 कन्सल्टेशन एण्ड इन्डस्ट्रीज (इंडिया) लि0 के पक्ष में स्वीकृति के संबंध में ।

आदेश:-निम्नांकित शर्तों एवं बंधनों पर आवेदक सर्वश्री आई0डी0ओ0 कन्सल्टेशन एण्ड इन्डस्ट्रीज (इंडिया) लि0 के पक्ष में क्वार्टज /क्वार्टजाईट (सिलिका स्टोन) खनिज के खनन पट्टा की स्वीकृति दी जाती है ।

- (I) क्षेत्रफल- 48.92 एकड़ (अड़तालीस दशमलव नौ दो एकड़)
- (II) खनिज- क्वार्टज /क्वार्टजाईट (सिलिका स्टोन)
- (III) अवधि- 30(तीस) वर्षों के लिये
- (IV) स्वामिस्व - क्वार्टज- 15.00 रु0 प्रति मे0टन  
क्वार्टजाईट- 15.00 रु0 प्रति मे0 टन ।

परन्तु स्वामिस्व के उपर्युक्त दर में हेर-फेर केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्मित माईन्स एण्ड मिनरल्स (रेग्यूलेशन एण्ड डेवलपमेंट) एक्ट, 1957 एवं एम0सी0 रूल्स, 1960 के अनुसार समय-समय पर लागू किये गये दर के अनुसार होगा ।

*(Signature)*

(V) नियत लगान - प्रथम वर्ष - शून्य

द्वितीय वर्ष से पंचम वर्ष तक - 70 (सत्तर) रू० प्रति हेक्टेयर प्रतिवर्ष ।

छठे वर्ष से दसवें वर्ष तक - 140 (एक सौ चालीस) रू० प्रति हे० प्रति वर्ष ।

ग्यारहवें वर्ष से आगे 200 (दो सौ) रू० प्रति हे० प्रति वर्ष ।

परन्तु नियत लगान की उपर्युक्त दरों में हेर-फेर माईन्स एण्ड मिनरल्स (रेग्यूलेशन एण्ड डेभलपमेंट) ऐक्ट, 1957 तथा एम०सी०रूल्स, 1960 के अनुसार समय-समय पर, लागू किये गये दर के अनुसार होगा ।

(VI) भूतल लगान- (सरफेस रेंट):-ऐसे दर से जो जमीन पर लगाये जानेवाले भू-राजस्व (लैंड रेभन्यू) तथा उपकर (सेस) से अधिक न हो ।

(VII) प्रतिभूति (सेक्यूरिटी): 10,000 (दस हजार) रूपये ।

(VIII) पट्टाधारी को खनन कार्य की निगरानी के लिये मिनरल कन्जरवेशन एण्ड डेवेलपमेंट रूल्स 1958 के नियम-21 के अनुसार योग्यता प्राप्त खनन् अभियंता (माईनिंग इंजीनियर) अथवा भूतत्ववेत्ता की नियुक्ति अनिवार्यतः करनी होगी ।

(IX) पट्टाधारी को वन क्षेत्र में खनन कार्य करते समय राज्य तथा केन्द्र सरकार द्वारा बनाये गये नियमों का पालन अनिवार्यतः करना होगा ।

(X) अन्य शर्तें माईन्स एण्ड मिनरल्स (रेग्यूलेशन एण्ड डेभलपमेंट) ऐक्ट, 1957 तथा एम०सी०रूल्स, 1960 (यथा संशोधित) के अनुसार होगी ।

(XI) पट्टाधारी जिला पदाधिकारी अथवा उनके बदले में अधिकृत अन्य पदाधिकारी द्वारा खनन् कार्य के लिये निर्धारित सीमा के अतिरिक्त कृषि योग्य भूमि का अर्जन नहीं करेंगे ।

23/5/5

(XII) जहाँ कहीं कृषि योग्य भूमि स्थायी रूप से अर्जित नहीं की गयी और खनन् कार्य प्राईवेट एरेजमेंट द्वारा किया गया वहाँ खनन् कार्य के सिलसिले में खुदे हुये गड्ढे आदि को जिला पदाधिकारी अथवा उनके बदले में अधिकृत अन्य पदाधिकारी की इच्छानुसार पट्टाधारी भर देंगे ।

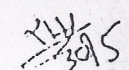
(XIII) पट्टाधारी भूमि अर्जन से अथवा अन्य प्रकार से प्रभावित कृषकों तथा उनके आश्रितों को न्यूनतम उचित पारिश्रमिक पर नियोजन के लिये जिला पदाधिकारी अथवा उनके बदले में अधिकृत अन्य पदाधिकारी की इच्छानुसार प्रबंध करेंगे ।

(XIV)(ए) यदि खनिज का स्वामिस्व उसकी कोटि और श्रेणी पर निर्धारित है और पट्टाधारी उसे सर्वोच्च कोटि का धोषित करते हैं तो किसी प्रकार के जाँच प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं होगी ।

(बी) यदि पट्टाधारी खनिज को निम्न कोटि का धोषित करते हैं तो उन्हें इस आशय का टेस्ट सर्टिफिकेट राजकीय भूतात्विक प्रयोगशाला, हजारीबाग से प्राप्त कर प्रस्तुत करना होगा । खनिज के विश्लेषण का खर्च पट्टाधारी द्वारा वहन किया जायेगा । खनिज के डिस्पैच के 60 दिनों के अन्दर यदि पट्टाधारी उक्त जाँच प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करेंगे तो यह समझा जायेगा कि डिस्पैच किया गया सभी खनिज उच्च कोटि का है ।

(XV)(ए) पट्टाधारी अधिनियम या इन नियमों से किसी अन्य नियम से उल्लिखित प्रावधानों के रहते हुये भी 24 प्रतिशत वार्षिक की दर से किसी भी लगान स्वामिस्व एवं शुल्क (नियम 54 के उप नियम '1' के अंतर्गत देय शुल्क को छोड़कर) या अधिनियम या इन नियमों का किसी अन्य खनन् पट्टा शर्तों के अंतर्गत अन्य रकम जो सरकार का बाकी है, उसपर सरकार द्वारा भुगतान के लिये निश्चित की गयी तिथि के 60 (साठ) दिनों के बीत जाने के दिन से साधारण सूद तबतक चार्ज कर सकती है जबतक स्वामिस्व, लगान शुल्क या अन्य राशि का भुगतान नहीं हो जाता है ।

(बी) फार्म 'के' में पार्ट-6 में खंड-3 में तत्संबंधी बकाये सूद के साथ शब्दों के स्थान पर 24 प्रतिशत वार्षिक सूद की दर से तत्संबंधी बकाये सूद के साथ शब्द जोड़ दिये जायेंगे ।



(XVI) अगर रैयतों की आपत्ति के कारण पट्टाधारी क्षेत्र में काम <sup>नहीं</sup> करेंगे तो वे लगान की माफी के लिये सरकार से न तो दावा करेंगे और न इसके लिये उन्हें किसी तरह का दावा होगा ।

(XVII) फार्म 'के' में पार्ट-9 में (क्लाउज-8) के बाद निम्नलिखित क्लॉउज जोड़े जायेंगे ।

(क) यह पट्टा बिहार राज्य के लखीसराय जिला के मुख्यालय लखीसराय में भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के उपबंध के अधीन रहते हुये निष्पादित किया जाता है कि पट्टे के अधीन आने वाले क्षेत्र, पट्टे की शर्तों, पट्टे के अधीन वसूली योग्य शौध्यों और पट्टेदार व पट्टाकर्त्ता द्वारा यह करार दिया जाता है कि पट्टे के अधीन आने वाले क्षेत्र, पट्टे की शर्तों, पट्टों के अधीन वसूली योग्य शौध्यों और पट्टेदार व पट्टाकर्त्ता के संबंध में सभी एवं अन्य सभी विषयों के संबंध के किसी विवाद की दशा में वाद या अपील लखीसराय के सिविल न्यायालय में अथवा रिट याचिका पटना उच्च न्यायालय, (पटना) में दायर किये जायेंगे और यह स्पष्ट रूप से करार किया जाता है कि कोई भी पक्षकार उप नामित न्यायालय से भिन्न किसी अन्य स्थान पर वाद या अपील फाईल नहीं करेंगे, या कोई कार्रवाई नहीं करेगा ।

(XVIII) यदि पट्टाधारी खनन कार्य हेतु वृक्ष काटेगें या जमीन पर गड़हें आदि बनायेंगे तो उन्हें पूरे क्षेत्र की भराई करनी होगी और पूरे क्षेत्र पर वृक्ष लगाना होगा ।

(XIX) पट्टाधारी रैयती क्षेत्र में खनन कार्य करने के पूर्व अंचलाधिकारी द्वारा सत्यापित संबंधित रैयतों का सहमति पत्र जिला पदाधिकारी के समक्ष दाखिल करना होगा और जिला पदाधिकारी के द्वारा यह सुनिश्चित किये जाने पर कि संबंधित रैयतों को खनन कार्य किये जाने वाले क्षेत्र के लिये उचित मुआवजा का भुगतान हो गया है, पट्टेधारी खनन कार्य प्रारंभ करेंगे ।

(XX) आदिवासी रैयतों के हितों तथा रैयती जमीन से संबंधित मुआवजे की राशि के भुगतान हेतु संबंधित रैयतों का स्थानीय स्टेट बैंक या किसी बैंक की शाखा में अपने नाम से खाता खोलना होगा जिसकी सूचना उन्हें पट्टेधारी को देनी होगी तथा रैयतों के खाते में जमा कर पट्टाधारी को उसकी सूचना जिला पदाधिकारी को देनी होगी ।

(XXI) पट्टेधारी को मिनिमम वेजेज एक्ट 1948 के अन्तर्गत केन्द्रीय अथवा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित न्यूनतम पारिश्रमिक का भुगतान करना होगा ।

23/3/5

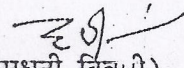
(XXII) पट्टेधारी को खान अधिनियम, 1952 के प्रावधानों का अनुपालन करना होगा।

(XXIII) पट्टेधारी को मिनरल कंजरवेशन एण्ड डेभलपमेंट रूल्स, 1958 के प्रावधानों का अनुपालन करना होगा।

(XXIV) पट्टेधारी द्वारा पट्टा सविदा के निष्पादन की तिथि से तीन वर्षों के अन्दर बिहार में खनिज पर आधारित उद्योग बैठाना होगा।

2. निष्पादित एवं निर्वोधित पट्टे की तीन प्रतियाँ इस विभाग को शीघ्र भेजें।
3. क्षेत्र का नक्शा लौटाया जाता है।

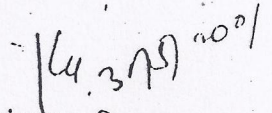
बिहार के राज्यपाल के आदेश से

  
(रामधनी तिवारी)

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापक - १७७ /एम०, पटना, दिनांक - ३०-०६-२००८।

आदेश की प्रतिलिपि- चीफ इन्सपेक्टर ऑफ माईन्स, धनबाद /कन्ट्रोलर जनरल, इंडियन ब्यूरो ऑफ माईन्स, नागपुर /क्षेत्रीय खान नियंत्रक, भारतीय खान ब्यूरो, रॉची /अपर निदेशक, खान /उप निदेशक, खान, भागलपुर /मुख्य वन संरक्षक, बिहार /सहायक खनन पदाधिकारी, मुँगेर /सर्वश्री आई०डी०ओ० कन्सर्वेशन एण्ड इन्डस्ट्रीज (इंडिया) लि०, २९, किदवईपुरी, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रसारित।

 १००/

सरकार के संयुक्त सचिव।